विविध 37/24

Form no 111

अहकाम

(नियम 133)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

भंवरी बनाम रविन्द्र कुमार आदि

अन्तर्गत धाराः—88,53 आर.टी.ए राजस्व वाद सख्याः—.....66...../2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी

19.02.2024 यह वाद पत्र वादी की ओर से **श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता** द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली वास्ते रजिस्टर्ड डाक व साधरण सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.03.2024 पेश हो।

(हस्ताक्षर)

15/3/24 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता श्री आशीष भीडासरा द्वारा प्रति० सं० 1,2 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल किया गया। पत्रावली प्रतिवादी जवाब स्टे इन्तजार मे दिनांक 28/3/24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

024:—पत्रावली आज वादीया भंवरी जरिये अधिवक्ता श्री रामकुमार कस्वा द्वारा वकलतनामा मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारो के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। इसलिए वादीया अब इस दावा को नही चलाना चाहती। वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वादीया अधिवक्ता के निवेदन पर उकत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादीया से फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादीया की पहचान वादी अधिवक्ता श्री रामकुमार कस्वा द्वारा की गई। पक्षकारान का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादीया का वादपत्र मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:22:09 IST
Reason: Self Attested